



**बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या-व.सं./72/2020- 746

प्रेषक,

रार्केश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 28/08/2020

विषय - समस्तीपुर जिलान्तर्गत SH-50- दरभंगा (प्रस्तावित गैस पाईप लाईन From Gov Top on Line 03 to Samastipur) पथ किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.2303 हे० वन भूमि का "मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, पटना के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 07.11.2014 एवं पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. समस्तीपुर जिलान्तर्गत SH-50- दरभंगा (प्रस्तावित गैस पाईप लाईन From Gov Top on Line 03 to Samastipur) पथ किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.2303 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, पटना का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

3. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। परियोजना निर्माण के क्रम में 0.2303 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 1343 दिनांक 21.08.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सहायक प्रबंधक (परियोजना) ERPL CGD मुजफ्फरपुर के पत्रांक ERPL/CGD/MFP/PROJ/4.1 दिनांक 21.08.2020 के आधार पर परियोजना निर्माण के क्रम में शून्य वृक्षों के पातन के साथ परियोजना निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूरा करने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

4. इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0 प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तावित परियोजना रेखांकण को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference नक्शा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत की गयी है। तदआलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण की अनुशंसा प्रस्ताव के साथ नहीं किया जा रहा है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कड़िका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.2303 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रु० 1,44,168/- की 50% राशि रु० 72,084/- (रुपये बहतर हजार चौरासी) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

8. प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

9. अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये 1 (एक) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

10. अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)
27.8.2020

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।